कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल
शास.सम्राट अशोक मा.शा. परिसर टी.टी.नगर भोपाल म.प्र.
कार्यालय दूरभाष 0755–2778106, ईमेल **jddpibho-mp@nic.in**

निविदा की शर्ते

1 निविदाकर्त्ता फार्म के पास विगत तीन वर्षो का क्रीडा (स्पोटर्स) सामग्री व्यवसाई होने का पंजीयन होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु प्रमाण पत्र की सत्यापित कापी संलग्न करें ।

2 सेल्स टेक्स एवं स्थानीय निकाय का विगत तीन वर्षो का क्रीडा (स्पोटर्स) सामग्री का व्यवसाई होने का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी का पंजीयन संलग्न करें।

3 टिन नंवर एवं पेन नंवर के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

4 निविदा फर्म को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न का प्रमाणीकरण एवं सी.ए की रिपोर्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5 निविदा कर्ता संस्था/फर्म को राशि रूपये 500/ के स्टाम्प पर किसी भी शासकीय/गैर शासकीय कार्यालय /संस्था से विगत 05 वर्षो तक ब्लैक लिस्ट नही किया गया है तद संबधी नोटरी कृत शपथ –पत्र प्रस्तुत करना होगा, शपथ पत्र संलग्न न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

6\. निविदा में अंकित सामग्री की दर समस्त कर सहित ,मेक,साईज, कंपनी आदि का उल्लेख किया जावे, गुणवत्ता पूर्ण सामग्री प्रदाय न किए जाने पर सामग्री का भुगतान नहीं दिया जावेगा ।

7 निविदा के साथ सीलबंद नमूना सामग्री भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य हैं अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी । नमूने पर संस्था का नाम,क्रमांक,मोबाईल क्रमांक, स्पेसिफिकेशन अनिवार्यतः अंकित करें।

8 टी.शर्ट एवं नेकर का कपडा 200 जी.एस.एम या समकक्ष कपडों तथा गुणवत्ता वाली सामग्री का कम से कम होना अनिवार्य है ।जूते ब्रांडेड कंपनी एवं मौजे कॉटन के होना अनिवार्य है।

9 निविदा की दरें स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष **के लिये** लागू रहेगी, अथवा नवीन निविदा जारी किये जाने तक दरें मान्य होने की दिनांक तक वैध रहेंगी ।

10 सामग्री मापदंड के अनुसार न होने पर क्रय आदेश निरस्त करने तथा आवश्यक्तानुसार सामग्री की मात्रा कम या अधिक क्रय करने का अधिकार संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा ।

11 निविदा में सामग्री की वास्तविक दरें समस्त करों सहित टैक्स (जी.एस.टी) के निर्धारित फार्म में अंकित की जावे।

12 निविदाकर्त्ता को सामग्री प्रदाय आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अथवा आवश्यकता पडने पर वह 07 दिवस में आदेश में उल्लेखित सामग्री कार्यालय में अथवा नियत/निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाना अनिवार्य होगा,जिसका व्यय निविदाकर्त्ता को वहन करना होगा ।

13 निविदा के साथ प्रस्तुत नमूना सामग्री एवं प्रदाय की जानेवाली सामग्री में अंतर पाये जाने पर धरोहर राशि राजसात करने की कार्यवाही तथा दरों में कटौती कर भुगतान की कार्यवाही का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग को रहेगा ।

14. निविदा कर्ता को किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन अथवा कार्यालय से आबंटन प्राप्त होने तथा राशि की उपलब्धता होने पर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

15 निविदा बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार एवं विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार संयुक्त सचांलक,लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल का होगा ।

16 क्रय समिति द्वारा चयन की गई सामग्री के संबंध में कोई अभ्यावेदन निविदाकर्ता का स्वीकार नहीं होगा । इस संबंध में क्रय समिति/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

17. अमानत राशि के रूप में रूपये 25,000/–का बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार होगा,चेक या अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा । बैंक ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर संस्था का नाम अंकित करें। राशि रूपये 25,000 (पच्चीस हजार) का ड्राफ्ट संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा ।

18 किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय भोपाल होगा।

19 कार्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस काटा जावेगा शेष देय समस्त कर जमा करने का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।

20 सामग्री प्रदाय करते समय मूल देयक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा चालान पर सामग्री प्राप्त नहीं की जावेगी ।

21 निविदा स्वीकृत होने की दशा में क्रय आदेश के दिनांक से वांछित सामग्री 15 दिवस के अंदर कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग स्थित कार्यालय में निविदा कर्ता के व्यय पर पेंकिंग एवं समस्त प्रकार के व्यय सहित प्रदाय करना होगी , अन्यथा आगामी 07 दिवस हेतु रूपये 3000/–(तीन हजार रूपये मात्र) प्रतिदिन विलंब हेतु राशि दंड स्वरूप काटी जावेगी इसके उपरांत भी सामग्री प्राप्त न होने पर आदेश निरस्त कर घरौहर राशि राजसात की जावेगी ।

22 टी–शर्ट पर पीछे भोपाल संभाग का नाम स्क्रीन प्रिटिंग करना अनिवार्य होगा तथा ट्रेक शूट पर म.प्र का नाम स्क्रीन प्रिटिंग करना अनिवार्य होगा ।

23. निविदाकर्त्ता को टी. शर्ट नेकर,शूज, मौजे इन समस्त सामग्री की कीमत अधिकतम राशि कुल राशि 500/रूपये के अंदर ही प्रदाय करना होगा।

24. निविदाकर्त्ता म.प्र के अंतर्गत आता हो ताकि अल्प समय में सामग्री प्रदान कर सके।

संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,
भोपाल संभाग,भोपाल